दिनांक 01.02.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम, भिलाई के महापौर परिषद ने निगम क्षेत्र के भवन मालिकों को फरवरी माह में बकाया सम्पत्तिकर की राशि एकमुश्त जमा करने पर अधिभार से छुट प्रदान करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी को आयोजित महापौर परिषद की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 5 पर उक्त निर्णय लिय गया है।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि चालु वित्त वर्ष 2017—18 के सम्पत्तिकर की बकाया राशि 28 फरवरी तक एकमुश्त जमा करने पर अधिभार की राशि से छुट प्रदान किया जावेगा। जिसका लाभ निगम क्षेत्र के भवन मालिकों को अवश्य उठाना चाहिए।

जनसम्पर्क विभाग